सत्यमेव जयते

कार्यालय / Office
कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt.of Personnel, Raipur Division
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway
दू.भा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फैक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

अधिसूचना सं. 13/ 2024 दिनांक. 06.02.2024

विषय: रायपुर मंडल, द.पू.म.रेलवे में 16.67% एलडीसीईई कोटे के विरुद्ध पे मैट्रिक्स लेवल-2 में कनिष्ठ लिपिक सह टंकक के पद को भरना।

****

पे मैट्रिक्स लेवल-2 (16.67% एलडीसीईई) में कनिष्ठ लिपिक सह टंकक की श्रेणी में सभी विभागों के 04 रिक्तियों को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने रायपुर मंडल / द.पू.म.रेलवे के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी विभागों (लेखा और रेल सुरक्षा बल को छोड़कर) के इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से विकल्प मंगाकर एक परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) आयोजित करने का निर्णय लिया है।

श्रेणी	अनारक्षित	एससी	एसटी	कुल	PwBD के लिए एक पद आरक्षित है
कनिष्ठ लिपिक सह टंकक (16.67% एलडीसीईई)	02	01	01	04	LV (01)

1. **पात्रता मानदंड**

ए. पूर्ववर्ती ग्रुप-डी कर्मचारी जैसा कि पीसीपीओ / एसईसीआर का पत्र संख्या P-HQ/RUL/105 /12 / 5530 दिनांक: 31.05.2017 में उल्लिखित श्रेणी में नियमित रूप में कार्य कर रहे हैं और जिनका लियन रायपुर मंडल में है, स्थापना नियम सं. 42/2017 के अधीन अनारक्षित श्रेणी के उम्मीद्वार बशर्ते कि उन्होंने 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वे उक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं तथा एससी, एसटी के मामले में भी 02 साल की सेवा पूरी करने वाले उम्मीद्वार पात्र हैं। पे मैट्रिक्स लेवल-2 में कनिष्ठ लिपिक सह टंकक की पात्रता मानदंड की कट ऑफ डेट अधिसूचना जारी होने की तारीख (अर्थात 06.02.2024) है।

बी. पे मैट्रिक्स लेवल -1 वाली श्रेणियों के कर्मचारी, जिनके लिए पदोन्नति का कोई नियमित एवेन्यू मौजूद नहीं है, केवल वे ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। पूर्ववर्ती ग्रुप-डी कर्मचारी जैसा कि पीसीपीओ / एसईसीआर के पत्र संख्या P-HQ/RUL/105 /12 / 5530 दिनांक: 31.05.2017 में उल्लिखित श्रेणी में कार्य कर रहे हैं, वे पे मैट्रिक्स लेवल-2 के साथ कनिष्ठ लिपिक सह टंकक की रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। (प्रपत्र संलग्न)

सी. स्थापना नियम संख्या 100/16 के अनुसार सभी विभागों के सफाईवाला 16.67% एलडीसीईई कोटा के विरूद्ध सभी विभागों के अनुसचिवीय (Ministerial) श्रेणियों के लिए विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे, यदि उनके पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता है।

डी. स्थापना नियम संख्या 105/2020 के अनुसार, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12 वीं पास या इसके समकक्ष परीक्षा है, जिसमें कुल 50% से कम अंक न हों। उन उम्मीदवारों के मामले में, कुल न्यूनतम 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जा सकता है, जिनके पास इस अधिसूचना की तिथि अर्थात दिनांक 06.02.2024 तक चयन में उपस्थित होने के लिए 12 (+ 2 चरण) से अधिक योग्यता हो।

एफ. कोई पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी|

2. पाठ्यक्रम :

अनुलग्नक – ए के रूप में संलग्न

3. लिखित परीक्षा के लिए प्रक्रिया :

ए) प्रश्न पत्र 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।

बी) सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।

सी) राजभाषा के प्रश्न कुल अंकों के 10% के लिए व्यावसायिक क्षमता का हिस्सा होंगे । राजभाषा नीति पर प्रश्न अनिवार्य हैं लेकिन उम्मीदवारों के लिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने हेतु कोई बाध्यता नहीं होगी।

डी) गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे । प्रत्येक गलत उत्तर पर प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का एक तिहाई काटा जाएगा (स्थापना नियम सं. 359/18 के अनुसार) ।

इ) कुल 110 प्रश्न होंगे एवं उम्मीदवारों को केवल 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । यदि कोई उम्मीदवार 100 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है, तो पहले हल किए गए 100 प्रश्नों की गिनती होगी ।

एफ) उपरोक्त परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) के माध्यम से आयोजित की जाएगी ।

(स्थापना नियम सं. 359/2018)

4. परीक्षा की तिथि :

परीक्षा की तारीख, स्थान एवं समय की सूचना अलग से दी जाएगी ।

5. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :

पात्र एवं इच्छुक कर्मचारियों को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में **13.02.2024** को या उससे पहले (उचित माध्यम द्वारा) अपने कार्यालय में जमा करना होगा । संबंधित विभाग को **16.02.2024** को या उससे पहले डीएआर/एसपीई/विजिलेंस क्लीयरेंस के साथ सभी आवेदनों को एक साथ कार्मिक विभाग को अग्रेषित करेंगे । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदन में सभी प्रासंगिक कॉलम पूरी तरह से भरे जाएं और जो कॉलम लागू न हों उन्हें 'लागू नहीं' के रूप में इंगित करते हुए काट दिया जाए तथा जहां कहीं भी आवेदन में निर्दिष्ट किया गया है, वहां नियंत्रक पर्यवेक्षक / अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित और प्रमाणित किया जाए, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4. चयन विधि एवं अर्हक अंक :

चयन हेतु कर्मचारी की पेशेवर क्षमता का मूल्यांकन 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) के माध्यम से किया जाएगा । कर्मचारियों को 60% अंक प्राप्त करने होंगे । कनिष्ठ लिपिक सह टंकक एक गैर-संरक्षा पद है इसलिए स्थापना नियम संख्या 266/99 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों में छूट लागू है ।

(स्थापना नियम संख्या 46/2003)

5. सामान्य जानकारी :

ए. उपर्युक्त परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) में भाग लेने के लिए, उम्मीदवार को उचित पहचान मेमो के साथ परीक्षा की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने की सलाह दी जाती है । यूनिट/अनुभाग प्रभारी को सलाह दी जाती है कि वे उचित पहचान मेमो के साथ समय पर कर्मचारी को भारमुक्त करें ।

बी. यदि उम्मीदवार द्वारा किसी भी अनुचित साधन का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें परीक्षा हॉल छोड़ने के लिए कहा जाएगा और उन्हें डीएआर के तहत कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा ।

सी. यदि आवेदक के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है, तो बिना किसी सूचना के चयन के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

डी.पात्रता के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करने वाले कर्मचारियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा नियंत्रण अधिकारी / यूनिट पर्यवेक्षक को सह पत्र के माध्यम से आवेदनों को अग्रेषित करते समय उन उम्मीदवारों के नाम का उल्लेख करना होगा जिनके आवेदन अग्रेषित किए गए हैं।

ई. स्थापना नियम संख्या 108/20 के अनुसार, 16.67% के तहत एलडीसीई के माध्यम से ग्रेड-'डी' से ग्रेड-'सी' में, अनुत्तीर्णों में सर्वश्रेष्ठ की नीति लागू नहीं होगी।

एफ. परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) और सेवा रिकॉर्ड में प्रदर्शन के आधार पर, उम्मीदवारों को रिक्तियों की सीमा तक पैनल पर रखा जाएगा और उन्हें पदोन्नति की तिथि से 02 वर्ष के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की दक्षता टाइप राइटिंग परीक्षा पास करना होगा।

<u>संलग्न : यथोक्त।</u>

Digitally Signed by Susheel Lakra
Date: 06-02-2024 17:24:35
Reason: Approved

(सुशील कुमार लकड़ा)
सहा. कार्मिक अधिकारी -I
कृते, मं. कार्मिक अधिकारी(प्र)

सं: SECR-ROPERS(PnM)/105/2021/E-43517 दिनांक: 06.02.2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित: -

iv) सर्व संबंधित ।

v) डीसी / एसईसीआरएमसी / रायपुर, डीएस / एआई एससी-एसटी आरईए / रायपुर एवं डीएस / ओबीसीईए / रायपुर

vi) वरि. मं. कार्मिक अधिकारी /कार्यालय/ रायपुर के सूचना पट्ट एवं www.secr.indianrailway.gov.in की वेबसाइट पर होम पेज पर लिंक - अबाउट अस-डिविजन/वर्कशॉप- रायपुर-पर्सनल- नोटिफिकेशन के रूप में उपलब्ध।

कृते, मं. कार्मिक अधिकारी(प्र)

प्रपत्र

रायपुर मंडल में पे मैट्रिक्स लेवल-2 में 16.67% एलडीसीई कोटा के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक सह टंकक की श्रेणी में रिक्तियों को भरने हेतु

सत्यापित किया हुआ नया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

उम्मीदवार का नाम :

पी.एफ. नं./ एनपीएस नं. :

जन्म तिथि :

प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि एवं पद :

शैक्षणिक योग्यता (06.02.2024 को) :
(प्रमाणपत्र संलग्न)

वर्तमान पद :

ग्रुप 'डी' में नियमितीकरण की तिथि :
(यदि लागू हो)

पे मैट्रिक्स लेवल :

कार्यालय/यूनिट/स्टेशन/लियन :

विभाग :

यदि कर्मचारी निर्माण/परियोजना में कार्यरत हो :
तो श्रेणी और विभाग का नाम दें जिसमें
उनका लियन धारण किया था

समुदाय (एससी / एसटी / अनारक्षित) यदि एससी :
/ एसटी से हैं तो प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम :

स्थान : पदनाम :

उपर्युक्त विवरण को सत्यापित किया गया एवं सही पाया गया

अधीनस्थ कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर
दिनांक और कार्यालय मुहर के साथ

रायपुर मंडल के 16.67% (LDCE कोटा) के विरुद्ध पे मैट्रिक्स लेवल-2 में कनिष्ठ लिपिक सह टंकक के पद पर परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) के लिए संशोधित अंतरिम पाठ्यक्रम

01. अंकगणितीय क्षमता .

- ए) लाभ और हानि
- बी) साधारण ब्याज
- सी) चक्रवृद्धि ब्याज
- डी) प्रतिशत
- इ) अनुपात एवं समानुपात
- एफ) समय एवं कार्य
- जी) समय / दूरी / गति

02. सामान्य ज्ञान और रेलवे के वर्तमान विषय और इसका कामकाज

- ए) रेल प्रणाली
- बी) रेलवे में कल्याणकारी कार्यकलाप, अवकाश, पास, डी एंड ए, सेवा आचरण नियम, वेतन, मजदूरी, एचओईआर, भर्ती, प्रशिक्षण और समस्त भत्ते, ऋण तथा अग्रिम।
- सी) कौन क्या है
- डी) आविष्कार / विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी
- इ) रेलवे के विभिन्न विभागों जैसे इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक, प्रचालन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं दूरसंचार, चिकित्सा और सामान्य प्रशासन आदि के कार्यों से संबंधित आसन्न मामले।
- एफ) आरटीआई एवं अन्य नए कानून
- जी) HRMS

03. अंग्रेजी भाषा का ज्ञान

- ए) स्वर
- बी) संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण के उपयोग
- सी) पर्यायवाची, विलोम
- डी) सही शब्दों / वाक्य / मुहावरों और वाक्यांशों का उपयोग।

04 भारत सरकार की राजभाषा नीति

>><><><><><><><><><><><><<